न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 55/2025 (GCMS C.N. 2025/654) खाद्य सुरक्षा

उनवान

सरकार जरिये अशोक कुमार यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय खाघ सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, भीलवाडा	**बनाम**	1. किशन लाल जाट पुत्र लक्ष्मण जाट, मैसर्स–बालाजी सरस, गांव–सोनियाना तहसील सहाडा भीलवाडा
– प्रार्थी		–विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार

2. श्री लादुलाल गुर्जर, श्री गोपाल लाल गाडरी, विपक्षी अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 04/05/2026

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरूद्व एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी 1 के साकीन पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को **खाघ पदार्थ मिल्क आदि** विकय कर रहा था। विपक्षी का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विपक्षीगण फर्म पर **लगभग 20 लिटर बीएमसी में विकय** हेतु रखा पाया गया। मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-A की प्रति, नमूना खरीद रसीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक **खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.08.2025 को समय 06.00 पी.एम.** पर बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग **विपक्षी**

5.26

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

के प्रतिष्ठान पर पहुंचा। खा0सु0अधिकारी ने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विकेता का परिचय लिया। Food license मांगने पर **प्रस्तुत नहीं** किया गया।

मौके पर गवाह व विक्रेता की उपस्थिति में विक्रेता को **100/–रू. नकद देकर 2 लिटर मिल्क** जांच हेतु खरीदा एवं रसीद प्राप्त की। गवाह व विक्रेता के सामने चार लेबल तैयार किये गये जिस पर पेपर स्लिप संख्या **एक्स– 2700** नाम, पता, वस्तु का नाम, नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक डाले गये। प्रत्येक नमूना भाग के लिए नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर गोंद से चिपकाये एवं धागे से बांध कर सील चपडी की जाकर खाघ सेम्पल प्रोपल सील किए गए। नियमानुसार मौका फर्द तैयार कर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. एल. एस/1040/एक्ट/2025/1060 दिनांक 19.08.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण **Substandard** होना पाया गया। इस संबंध में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षी को सूचित किया गया। सूचनार्थ प्रतिलिपि एफएसओ को दी गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य **पदार्थ–सबस्टेणडर्ड** पाया गया है। इसलिए लिया गया खाद्य नमूना **Substandard** होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा **सबस्टेण्डर्ड** सामग्री का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 **की धारा 51** में निर्धारित है। बिना लाइसेन्स के विक्रय करना **नियम 11 धारा 63 में जुर्माना** निहित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है।

विपक्षी के अधिवक्ता ने जरिए जवाब/लिखित बहस अवगत कराया कि विपक्षी दुग्ध का कार्य नहीं करता है, बल्कि बीएमसी संचालित करता है। जिसमें आस पडौस के गांव नया खेडा, उंचा, रेवाडा, अरनिया जो कि सरस डेयरी की दुग्ध डेयरिया है, जिनके संचालकों द्वारा वहां पर एकत्रित किया हुआ दूध बीएमसी पर जमा कराया जाता है। इसके अलावा सोनियाणा, जालखेडा, झबरकिया, बलवन्तपुरा, लखमणियास, गांवो के लोग भी दुध बीएमसी सोनियाणा पर जमा कराते है। उनके द्वारा लाया गया दुग्ध ही मौके पर उपलब्ध यंत्रों से उनकी फैट निकालकर, उनको पर्ची दी जाती व उसी दूध को भीलवाडा सरस डेयरी पर भिजवाया जाता है, विपक्षी द्वारा किसी प्रकार का दूध नहीं बेचा जाता। मामले में विपक्षी को विकेता बताया गया है, जो गलत है। केवल मात्र मै सरस डेयरी के अधीन ही अन्य डेयरियों से आए दूध को एकत्रित कर उनके गंतव्य स्थान पर पहुचाता हू। विपक्षीद्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की है व न ही विपक्षी ने कोई कृत्य किया है। अतः विपक्षी के विरूद्ध जारी नोटिस की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त करायी जाने की कृपा करावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **उपरोक्त लेब रिपोर्ट अजमेर के अनुसार** खाघ नमूना **Substandard** पाया गया।

4.5.26
न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानकों के अंतर्गत बेंचमार्क में होना चाहिये था। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना **Substandard** होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा **Substandard** खाघ सामग्री विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। विपक्षी **FBO(Food Business Operator)** के तहत दूध का विक्रय सरस डेयरी को कर रहा था। विपक्षी के पास लाइसेन्स भी दौराने चैकिंग नहीं पाया गया, जो अनुज्ञा पत्र के बिना कारोबार अनुसार जुर्माना खा.सु. एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 63 में निर्धारित है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की **धारा 26 की उपधारा 2(ii)** का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप विपक्षी पर उक्त अधिनियम की **धारा 51 एवं नियम 2011 की धारा 63** के अन्तर्गत **10000/रूपये (अक्षरे दस हजार रूपए)** शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति राशि ई–ग्रास पोर्टल पर जरिये ई–चालान में Office Name:- Chief Medical & Health Officer, Bhilwara का चयन कर उक्त शास्ति राशि मद 0210–04–800–03–00 में जमा करा, चालान की एक प्रतिलिपि पेश करें।

निर्णय आज दिनांक **04.05.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4.5.26

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि संबंधित मद में जमा करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

2 किशन लाल जाट पुत्र लक्ष्मण जाट, मैसर्स बालाजी सरस, गांव सोनियाणा, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा को शास्ति राशि जरिए ई–चालान उपरोक्त मद में जमा कराने हेतु पालनार्थ।

4.5.26

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा